संख्या-119/2016/1266/सैंतीस-2-2016-1(42)/2000

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-13 दिसम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मा0 पशुधन मंत्री जी के विवेकाधीन कोष अनुदान मद से आर्थिक सहायता/अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-40/सात-3/14/17/2016-17, दिनांक-18.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्न विवरणानुसार रू0-10.00 हजार (रूपये दस हजार मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	नाम	पता	प्रयोजन जिस हेतु आर्थिक सहायता दी गई है	आवंटित धनराशि
1	श्री सर्वजीत प्रजापति पुत्र श्री गंगासागर	ग्राम-खनचक (बंगरा), पो0-सिकन्दरपुर, जनपद-बलिया	बकरी पालन हेतु	2000.00
2	श्री शाजिद पुत्र श्री इबरार	ग्राम-भूरा डीह, पो0-मासूमपुर, जनपद-बलिया	मुर्गी पालन हेतु	2000.00
3	श्री मन्नान पुत्र श्री दरगाही	ग्राम व पो0-सिवानकलाँ, जनपद-बलिया	मुर्गी पालन हेतु	2000.00
4	श्री लड्डन पुत्र श्री मुक्तार	ग्राम-बस्ती बुजुर्ग, पो0-कोथ, जनपद-बलिया	मुर्गी पालन हेतु	2000.00
5	श्री नुरूल हसन पुत्र स्व0 जमिल	ग्राम व पो0-चेतन किशोर, जनपद-बलिया	मुर्गी पालन हेतु	2000.00
योग-				**10000.00**

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2013-मंत्रि परिषद-आयोजनेत्तर-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-03-पशुधन मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-119/2016/1266(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/सम्बन्धित लाभार्थी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in